न्यायालय : श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर.

(79) निगरानी प्र0क्र0/ /016

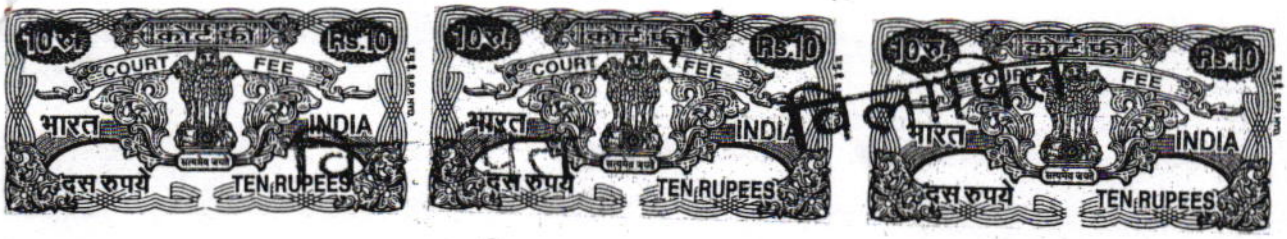

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

निग — 2454 — II -16

शुभकरण सिंह गोड तनय श्री स्व0 भोला सिंह गोड निवासी ग्राम पठरा, तह0 अमरपाटन, जिला सतना, म0प्र0.

श्री अरविन्द पाण्डे ... द्वारा आज दि. 26.7.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 26-7-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

-----आवेदक

बनाम

01-उदयभान सिंह तनय स्व0 रामाधीन सिंह गोड

02-गोकरण सिंह तनय रामाधीन सिंह गोड

03- रामखेलावन सिंह तनय रामाधीन सिंह गोड

04- केशरिया पुत्री रामाधीन सिंह गोड

05- कौशिल्या पुत्री भोला सिंह गोड

सभी निवासीगण ग्राम पठरा, तह0 अमरपाटन, जिला सतना, म0प्र0.

---- अना0गण.

अरविन्द पाण्डेय एड0

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के अपील प्र0क्र0 501/अपील/08-09 मे पारितआदेश दिनांक 22.06.016

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारो पर है :-

(01) अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनाक 22.06.016 सर्वथा विधि विधानके विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

(02) अधीनस्थ न्यायालय नेआवेदक के प्रचलनशीलताके संबंध मे उठाये गये तथ्यो के संबंध मे कोई बोलता हुआ आदेश व निष्कर्ष नही दिया वास्तव मे

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2454–दो/2016 जिला सतना

शुभकरण विरूद्ध उदयभान

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–8–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को। पर विचार किया। 2/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से यही तर्क किया कि कि अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–5–09 को प्रत्यावर्तन आदेश पारित किया था जिसके विरूद्ध एकपक्षीय रूप से अपील को ग्राह्य किया गया है जिसके विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष अपील की प्रचलनशीलता संबंधी आपत्ति प्रस्तुत की थी, जिसे अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 22–6–16 को निरस्त करने में त्रुटि की है। अपर आयुक्त के उक्त अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28–5–09 के द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रत्यावर्तन आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 46. ई पुनर्विलोकन के आवेदन की नामंजूरी– पुनर्विलोकन का आवेदन मंजूर होने पर धारा 44(3) के अनुसार अपील हो सकती है, और उसके नामंजूर होने पर धारा 46 के खंड (ख) के अनुसार अपील वर्जित है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में निष्कर्ष निकाला है कि रेस्पा0 चाहे तो अंतरिम आदेश दिनांक 09–7–09 जिसके द्वारा अपील ग्राह्य की गई है के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में नियमानुसार निगरानी कर सकता है। चूंकि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के अंतरिम आदेश दिनांक	

09–7–07 को चुनौती नहीं दी गई है, जिसके द्वारा अपील को ग्राह्य किया गया है तथा तर्क उक्त आदेश के कम में किये जा रहे है जबकि चुनौती आदेश दिनांक 22–6–16 को दी गई है। चूंकि अपर आयुक्त ने विचाराधीन आदेश दिनांक 22–6–16 को आवेदक को सुनवाई का अवसर देकर आपत्ति निरस्त की है। अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य